(161)

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0.

निग /2942/II/15 निगरानी क्र0/ /015

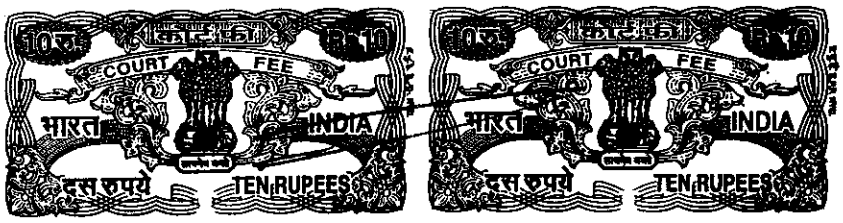

325
18.8.15

Rs
20/-

जगदीश वैसवार तनयरामजियावन वैसवारनिवासी ग्राम चौगनहा, तह0रामपुर नैकिन जिला सीधी, म0प्र0.

----निगराकार

बनाम

01-रामराज वैसवार तनय बचन प्रसाद वैसवारनिवासी ग्राम चौगनहा, तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी, म0प्र0.

02- म0प्र0 शासन

----- गैरनिगराकार

19.8.15
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ, तह0रामपुर नैकिन जिला सीधी, राजस्व निरीक्षक प्र0क्र0 70/अ-12/14-15 दिनांक 5.7.015 में पारितकिया गया।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0 ।

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण की प्रश्नांकित भूमियां निगराकारकी पैत्रिक भूमियां है, जिस भूमियोंकेभूमिस्वामी निगराकारके पिता रामजियावन थे, जिनकी मृत्यु हो चुकीहै, जिनभूमियोंकेमालिक स्वामी स्वत्वधारी निगराकार है जिन भूमियोंका नामांतरण निगराकार के नामनामांतरण राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2942–दो/15 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 70/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05.7.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई । 2– – मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम चौगनहा की आराजी न0 66 रकवा 0.060 है0, 67/0.030, 69/1 रकवा 0.060 व 70/2 रकवा 0.040 है0 किता 4 का सीमांकन कार्य करते समय जगदीश पिता रामजियावन वैसवार उपस्थित थे उनके स्थल पंचनामा पर हस्ताक्षर है। इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उनको सीमांकन की जानकारी नहीं थी। राजस्व निरीक्षक वृत्त हनुमानगढ तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 70/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05.7.15 किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण	

परिलक्षित नहीं होता है। अतएव राजस्व निरीक्षक का आदेश दिनांक 5.7.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य